एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - जून - जुलाई - 2021

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से न्यूजलेटर का दूसरा अंक प्रकाशित किया जा रहा है। पहले न्यूज लेटर की कमियों को काफी हद तक इस बार दूर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी त्रुटियां संभव हैं। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस अंक में हमने जून माह के दौरान आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को संकलित किया है। साथ ही उन घटनाओं का भी जिक्र किया है जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए बकायदा मौके पर पहुंचकर अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए। आप सबके सहयोग से न्यूज लेटर को सफल बनाने की आशा करते हैं।

धन्यवाद! संपादक

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:
011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:
https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI, MEMBER

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

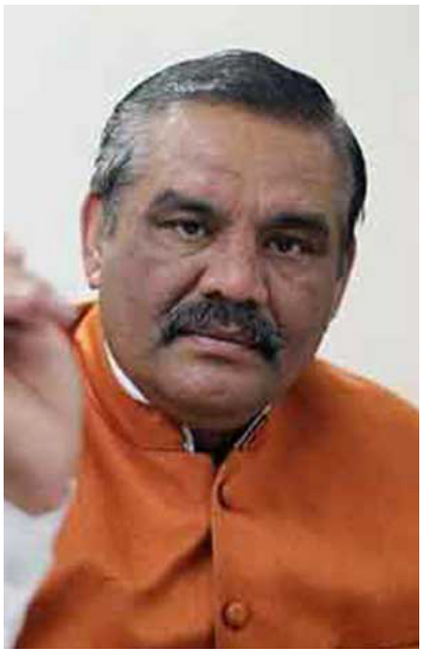

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के दूसरे अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। गत माह ही आयोग ने अपना पहला न्यूजलेटर प्रकाशित किया था। यह जानकर संतोष होता है कि इस वर्ष की कोविड–19 महामारी संक्रमण के कारण कार्य प्रभावित होने के बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने का भरसक प्रयास किया है। कोरोना के कारण आयोग की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं लेकिन अब आयोग ने पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है।

देश भर में फैली कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के बीच आयोग ने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के कई राज्यों में स्पॉट विजिट से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक किए। आयोग ने इस दौरान कई ऐसे मामलों को निपटाया जो सालों से लंबित पड़े थे। आयोग आगे भी अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ निश्चयी है।

आयोग इस न्यूजलेटर के माध्यम से बाबा साहेब के दिखाये सामाजिक समरसता और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए। इस कार्य में ये न्यूज लेटर प्रभावी भूमिका निर्वहन करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। साथ ही यह कहना चाहता हूं कि आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहे।

सादर धन्यवाद

विजय सांपला

उत्तर प्रदेश

अलीगढ़ में घर बिकाऊ है

उत्तर प्रदेश के ग्राम नूरपुर, थाना टप्पल, ज़िला अलीगढ़ में 100 अनुसूचित जाति परिवारों के घर छोड़ने को मजबूर, घरों के बाहर लिखा "यह मकान बिकाऊ है" के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने स्थलीय निरीक्षण किया व पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। निरीक्षण के लिए पहुंची आयोग सद्स्या ने जिले के डीएम, एसएसपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर मामले की जानकारी ली। माननीय सदस्या ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर सख्ती से कार्यवाही करने और भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर आदेश जारी किया।

गुजरात विजिट

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी के गुजरात प्रवास के दौरान गुजरात रिफाइनरी रिजर्व्ड एंप्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सुतारिया के नेतृत्व में सदस्यों ने मुलाकात की एवं अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। अहमदाबाद में अनुसूचित वर्ग से संबंधित सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों एवं प्रमुख लोगों ने भेंट की। अनुसूचित जाति के विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा के साथ सुझावों का भी आदान प्रदान हुआ।

पंजाब

मानसा पुलिस थाने में दलित युवक की मौत

पंजाब के मानसा जिले के गांव फफड़े भाईके के दलित युवक मनप्रीत को किसी मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस थाने लाया गया लेकिन कथित तौर पर थाने में ही पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद ही दौरा किया। जहां उन्होंने पंजाब सरकार के उच्चाधिकारियों को जिनमें आईजी पुलिस, मानसा जिले के एसएसपी और डीसी मानसा शामिल थे, को तलब कर मामले की पूरी जानकारी ली और कड़ी कार्यवाही का निर्देश जारी किया। साथ ही मनप्रीत के परिवार से मिले और ढांढस बंधाया। इसके अलावा दिवंगत के छोटे भाई को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दिलाने, मकान बनाने के लिए पीओ एक्ट के तहत सरकारी सहायता एवं अनुदान दिलाने, मृतक की माता को 5000 तक प्रति माह की पेंशन दिलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई।

शादी में घोड़ी न चढ़ने देने का मामला

शादी में घोड़ी न चढ़ने देने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या डॉ. अंजू बाला ने उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ के ग्राम माधवगंज में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मामले की जानकारी ली एवं मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।

२ लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रोकने का मामला

पंजाब के प्राईवेट कालेजों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत पंजाब के प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते दो लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रोकने के निर्णय का कड़ा नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर तुरंत विद्यार्थियों के रोल नंबर जारी करवाने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, पंजाब के प्राइवेट कालेजों के बनते 1549.06 करोड़ रुपए जारी न किए जाने के कारण ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब के दो लाख के करीब दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रोक लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, समाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव एवं हायर एजूकेशन के प्रधान सचिव को नोटिस जारी करके तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है।

आयोग ने लिया संज्ञान

पंजाब पीपीएस–आईपीसी मामला

आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में प्रमोशन दी गई, इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बता दें कि बीते सात अप्रैल को पंजाब पुलिस के चौबीस पी.पी.एस. अफसरों की आइ.पी.एस. में प्रमोशन दी है, जिसमे आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई क्यूंकी उसमे एक भी दलित नहीं है और ये ही आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, पीपीएस, कमांडेंट 1 आआईआरबी ने आयोग को शिकायत दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों/मामले में जांच कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट –आयोग के समक्ष पंद्रह दिनों में पेश करने का निर्देश दिया।

इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफिकेट रोकने का मामला

यूनिवर्सिटी के अनुसार हिमाचल सरकार द्वारा इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कई कोर्सों में एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत पढ़ते विद्यार्थियों की बनती ट्यूशन फीस नहीं दी गई है।

ऊना स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत पढ़ते विद्यार्थियों को उनके ओरिजनल डाक्यूमेंट न देने के निर्णय का कड़ा नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर तुरंत विद्यार्थियों के असली दस्तावेज जारी करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कई माध्यमों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में आया कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा एससी/एसटी विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि रोक लिए गए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य माननीय श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने आयोग के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय पर जन समस्याएं सुनी एवं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर निस्तारण किया।

दलित समुदाय की शिकायतों पर कार्यवाही के निर्देश

पंजाब के दलित समुदाय की विभिन्न शिकायतों को लेकर पंजाब के आला अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तलब किया था। इस दौरान डीआईजी फिरोजपुर, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने आए सभी अधिकारियों से आयोग के समक्ष आई शिकायतों की जानकारी ली। साथ ही सभी मामलों में न्यायोचित कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए।

न्यायोचित कार्यवाही के आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्री अरुण हालदार जी ने आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत होकर शिकायतों पर संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्षों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के पक्ष को सुना और न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष पीड़ितों से भी मिले।

सामूहिक बलात्कार पर सख्त आयोग

उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के ग्राम सखेड़ा थाना सांडी में एक बालिका के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना पर आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग की टीम माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला के नेतृत्व में पीड़ित के घर पहुंची और बालिका एवं पारिवारिक सदस्यों से घटना की जानकारी ली तथा घटना से संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही हेतु प्रशासन को आदेश दिया।

खबरों में आयोग

SC PANEL NOTICE TO PUNJAB OVER THRASHING OF DALIT WOMAN

BATHINDA: The National Commission for Schedules Castes (NCSC) has issued notices to the Punjab government and the Mansa administration in connection with case of alleged thrashing of a Dalit woman labourer in over demand of wage for paddy transplantation.

Gurpreet Kaur was allegedly beaten up by an upper-caste

Dalit woman mistreated: Cops finally file FIR

TIMES NEWS NETWORK

Bathinda: Going by the call given for action against those guilty of maltreating Dalit woman labourer, by Mazdoor Mukti Morcha (MMM), the Bhikhi police of Mansa have registered a case against Gora Singh, husband of a panchayat member of Matti village under various sections including Scheduled Caste and Scheduled Tribe (prevention of atrocities) act. The labourers also wanted action against Matti sarpanch Sukhwinder Kaur.

The labourers claimed that the matter pertained to fixing the rates of paddy transplantation. The labourers had started working in the fields after fixing Rs 3,500 per acre as rate for paddy transplantation. But when the migrant labourers returned to village, they agreed to transplant paddy for Rs 2,900 per acre. Over it a meeting was arranged at the residence of village sarpanch where, MMM claimed, Gora Singh maltreated labourer Gurpreet Kaur.

MMM state president Bhagwant Samao said, "We wanted strict action against Gora Singh and the sarpanch in whose presence Gora Singh maltreated woman labourer. We hold a demonstration at Bhikhi police station after which the police registered the case."

Labourers claimed that the incident took place over fixing paddy transplantation rates

Matti sarpanch Sukhwinder Kaur had denied any ill treatment of Gurpreet Kaur.

Meanwhile, the National Commission for Scheduled Castes, headed by Vijay Sampla, has issued notice to the Mansa DC and SSP, Punjab chief secretary and DGP, asking them to submit ATR in the case within 7 days.

Sampla cautioned the officers that if the ATR is not received within the stipulated time, then the commission may exercise the powers of the civil courts conferred on it under Article 338 of the Constitution of India and issue summons for personal appearance of officers before the commission in Delhi.

ROW OVER 'SLAPPING' DALIT

Dalit group gh... police station, demand 2nd FI...

RAAKHI JAGGA
LUDHIANA, JUNE 19

THE ISSUE of a Dalit farm labourer being physically assaulted during a meeting on paddy transplantation rates at Mansa's Matti village sarpanch's house earlier this week continued to boil, with the Mazdoor Mukti Morcha – the Punjab affiliate of the All India Agricultural Labour Association, the agriworker wing of Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation – on Saturday staging a protest outside the Bhikhi Police Station.

The protesters, during their Saturday dharna, demanded an FIR under the SC/ST Act against Matti village sarpanch Sukhwinder Kaur as well.

The police have already lodged a case against landlord Gora Singh, who allegedly slapped the Dalit farm labourer in Matti.

Bhagwant Samao, president of Mazdoor Mukti Morcha, said, "The police have booked Gora Singh on Friday night on

she had organised a meeting of both parties (landowners and farm labourers) in her house and in her presence a Dalit farm labourer was assaulted. She has been spared. Hence, we had organised a dharna to demand that she is booked as well."

The protesters on Saturday also met DSP Jasjot Singh to press forth their demands, who in turn promised to take action against the sarpanch after conducting a probe in the matter.

The farm labourers of Matti, meanwhile, have stopped paddy transplantation work after the village panchayat tried fixing the rates for paddy transplantation at lesser than what was paid last year. The farm labourers were this year initially promised Rs 3500 per acre for paddy retransplantation, which was later slashed to around 2500-2600 an acre by the Matti panchayat. Controversy erupted later after a meeting of landowners and farm labourers, most of who are Dalits, called at the sarpanch's house to resolve the issue led to the alleged slap-

Meanwhile, the Nati... Commission for Schedu... Castes (NCSC) has also ta... note of the Dalit woman'... leged slapping case, ... Chairman of the body, V... Sampla, issuing a notice to... Government of Punjab.

"As per information ... ceived by us, the Dalit l... labourers in Matti of M... district had a face-off w... landowners over rate fixa... for paddy transplantatio... the village. To resolve the is... the lady Sarpanch of the vil... called the landlords and l... labourers at her residence. ... there allegedly made the l... mazdoors sit on the gro... where as the landlords wer... fered chairs. The discuss... snowballed with a landov... later slapping a female c... farm laborer," said V... Sampla, Chairman of NCSC.

He added that NCSC ha... sued notices to Dep... Commissioner Mansa, ... Mansa, Chief Secretary Pu... and Director General of Pu... Police asking them to sul... within seven days, the facts... information on action take...

राष्ट्रीय एससी आयोग ने पंजाब सरकार को जा...

मानसा में एससी महिला खेत मजदूर से मारपीट ...

अमर उजाला ब्यूरो

मानसा के डीसी और एसएसपी से सात दिन में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

चंडीगढ़। मानसा में पंचायत के दौरान ग्रामीणों द्वारा अनुसूचित जाति की एक महिला को अपशब्द बोलने और उससे मारपीट करने की वारदात पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चेयरमैन विजय ...

मुताबिक जिला मानसा के गांव मत्ती में दलित मजदूरों और खेत मालिकों के बीच धान रोपाई के रेट तय करने को लेकर मतभेद हो गए थे। गत वर्ष खेत मजदूरों को 3500 ...

रेट के मतभेद को खत्म करने के लिए, गांव की महिला सरपंच ने अपने घर में पंचायत रखी और संबंधित खेत मालिकों/जमींदारों और खेत मजदूरों को बुलाया।

सरपंच ने खेत मालिकों को कुर्सी पर बिठाया, जबकि खेत मजदूरों को जमीन पर बिठाया। बातचीत गाली-गलौज में बदल गई और ...

खेत मजदूर की पिटाई कर दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मानसा के डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी कर आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सात दिन में भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मानसा के ...

महिला की पिटाई पर राष्ट्रीय ... आयोग ने पंजाब सरकार को ...

दलित महिला मजदूर की पिटाई : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

- मानसा के डी.सी. व एस.एस.पी. को 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा

मानसा, 19 जून (वार्ता): मानसा के गांव मत्ती में पंचायत के दौरान गांव के लोगों द्वारा अनुसूचित वर्ग की महिला को अपशब्द बोलने और उसके साथ मारपीट किए जाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब ...

चेयरमैन विजय सांपला के आदे...

विजय सांपला

कृषि मज़दूर महिला की मारपीट मामले में अनुसूचित जाति कमिशन ने लिया गंभीर ...

पंजाब सरकार और डी.जी.पी. से भी जवाब ...

मानसा, 19 जून (बलविंदर सिंह धालीवाल): जिले के मत्ती गांव में पंचायत की उपस्थिति में एक कृषि मज़दूर दलित महिला की मारपीट के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन ने गंभीर नोटिस लिया है। कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार और ... से पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

विजय सांपला चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन।

दैनिक भास्कर बठिंडा

दलित खेत मजदूर महिला से ...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति... पंजाब सरकार को जारी...

डीसी और एसएसपी को 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा

मानसा | जिले के गांव मत्ती में पंचायत के दौरान गांव के लोगों द्वारा अनुसूचित वर्ग की महिला को अपशब्द बोलने और उसके साथ मारपीट किए जाने का कड़ा संज्ञान लेते राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग के पास आई सूचना के मुताबिक गांव मत्ती में दलित मजदूरों और खेत मालिकों के बीच धान रोपाई

अजीत समाचार

उत्तर भारत का सम्पूर्ण अखबार

20 Jun 2021
Page: 3

http://www.ajitsamachar.com/20210620/29/3...

... रेट के मतभेद को खत्म करने के लिए गांव की महिला सरपंच ने अपने घर पंचायत रखी और वहां संबंधित खेत मालिकों, जमींदारों एवं खेत मजदूरों को बुलाया। सरपंच ने खेत मालिकों को कुर्सी पर बिठाया, जबकि खेत मजदूरों को जमीन पर बिठाया। बातचीत गाली-गलौच में बदल गई, जमींदारों द्वारा जातिसूचक शब्द बोले गए और हद तब हो गई, जब एक जमीन मालिक जिसकी पत्नी गांव में पंच है, ने उठकर एक दलित महिला खेत मजदूर की पिटाई कर दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मानसा डिप्टी कमिश्नर व

Colleges to issue roll Nos. to SC pupils, govt agrees to clear dues

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHIEF SECY SUMMONED

Chandigarh, June 11: The Joint Association of Colleges today announced to issue the roll numbers of 2 lakh Scheduled Caste students under the SC Post-Matric Scholarship scheme ...

... from Punjab Govt

Post Matric Scholarship: No roll nos. for 2L SC students, National SC Commission seeks action taken report by the Punjab Govt

दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रुके

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। पंजाब के प्राईवेट कालेजों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पंजाब के प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते दो लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रोकने के निर्णय का कड़ा नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने

विजय सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राइवेट कालेजों की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत बनती राशि न जारी किए जाने के कारण आज पंजाब के दो लाख से अधिक दलित विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। पंजाब सरकार की गलती की कीमत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी चुका रहे हैं। यह

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के मुद्दे पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली किया तलब

चंडीगढ़। पंजाब भर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं के निवारण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पंजाब सरकार को 3 अलग-अलग नोटिस भेजे गए। तीनों का जवाब देने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 10 जून तक भी कोई जवाब नहीं आया। इसका सख्त संज्ञान लेते हुए आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब के मुख्य सचिव के साथ 3 अन्य अफसरों को 17 जून को दिल्ली तलब किया है। आयोग ने 3 नोटिस जारी किए जिसमें 25 मई को जारी किए 15 दिन के नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं आया। 7 जून और 10 जून को तुरंत जवाब देने हेतु जारी किए नोटिसों का भी कोई जवाब पंजाब सरकार ने अब नहीं दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब की मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव एवं हायर एजुकेशन के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर पूरे आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने 17 जून को लेटेस्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर आने को कहा है। इसके साथ आयोग ने इन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी सारी फाईलें, केस डायरी आदि भी लेकर आने को कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जोकि भारत के संविधान के आर्टीकल 338 के तहत बनी है। सांपला ने कहा कि यह बहुत

SC panel summons Punjab chief secretary on June 17

"As chairman I am duty-bound to secure the rights of Scheduled Castes and ensure that they get justice in all respects"
Vijay Sampla | CHAIRMAN, NATIONAL COMMISSION FOR SC

Chandigarh: As the Punjab government failed to file replies on the hardships faced by Scheduled Caste students under the post matric scholarship (PMS) scheme, the National Commission for Scheduled Castes has summoned chief secretary Vini Mahajan and two other officers on June 17.

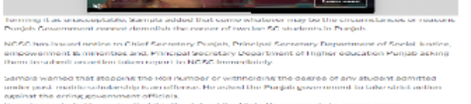

Vijay Sampla, who heads the commission, took strong notice of lapses by the Punjab officials for not responding to the panel's notices within the stipulated period of 15 days. The three notices, issued by the commission to the Punjab government on May 25, June 7 and June 10 for immediate reply went unanswered. The commission had taken note of the decision taken by the Joint Association of Colleges (JAC) to withhold roll numbers of two lakh Scheduled Caste students under the PMS scheme as the state government had failed to release the scholarship amount for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20. The commission had then asked the state chief secretary and other officers to ensure the issuance of roll numbers and file the action taken report immediately.

The commission, on Friday, asked chief secretary Vini Mahajan, principal secretary, department of social justice, empowerment and minorities Raji P Shrivastava and principal secretary of the department of higher education VK Meena to appear in person before the commission. All these officers have been asked to bring along an up-to-date action taken report and all relevant documents including relevant files and case diaries to facilitate the hearing. Sampla said that it was unfortunate that senior officers of the Punjab government are ignoring the notices issued by the commission. "As chairman I am duty bound to secure the rights of Scheduled Castes and ensure that they get justice in all respects," said Sampla.

National SC Commission seeks immediate reply from Punjab Govt

TSN/New Delhi:

Taking strong notice of the decision taken by the Joint Association of Colleges (JAC) of private educational institutions, to withhold roll numbers of two lakh Scheduled Caste (SC) students, the Na...

whatever may be the circumstances or reasons Punjab Government cannot demolish the career of two lac SC students in Punjab.

NCSC has issued notice to Chief Secretary Punjab, Principal Secretary Department of Social Justice, empowerment & minorities and, Principal Secretary Department ... Punjab

holding the degree ... student admitted ... matric scholars ... fense. He asks ... government to take strict ... tion against the erring government officials.

Sampla concluded by saying that it is the duty of the State Governments to ensure proper implementation of the Post Matric Scholarship scheme and ensure that SC students face no hardship ...

2 लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रुके-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से तुरंत ...

2 लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रुके-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से तुरंत मांगा जवाब!

- पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप-दो लाख दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रुके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब ...

महेंद्र सिंह बघेल / पब्लिक वार्ता

पंजाब के प्राईवेट कालेजों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत

पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत, पंजाब के प्राइवेट कालेजों के बनते 1549.06 करोड़ रुपए जारी किए जाने के कारण ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब के दो लाख के करीब दलित विद्यार्थियों के रोल नंबर रोक लिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राइवेट कालेजों की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत बनती राशि न जारी किए जाने के कारण आज पंजाब के दो लाख से अधिक दलित विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। पंजाब सरकार ...

खबरों में आयोग

पी.पी.एस. से आई.पी.एस. पदोन्नत को लेकर आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

- आरक्षण नीति को नजरअंदाज करने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

- पी.पी.एस. से आई.पी.एस. में पदोन्नत चौबीस पुलिस अफसरों में एक भी दलित नहीं

नई दिल्ली। आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज में प्रमोशन दी गई, इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्ञात रहे कि बीती सात अप्रैल को पंजाब पुलिस के चौबीस पी.पी.एस. अफसरों को आई.पी.एस. में प्रमोशन दी है, जिसमे आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई क्योंकि उसमे एक भी दलित नहीं है और ये ही आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, पीपीएस, कमांडेंट 1 आईआरबी ने आयोग को शिकायत दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों, मामले में जांच कर तुरंत …

पी.पी.एस. से आइ.पी.एस. प्रमोशन में आरक्षण नीति नजरन्दाज़-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

पी.पी.एस. से आइ.पी.एस. में प्रमोटेड चौबिस पुलिस अफसरों में एक भी दलित नहीं

विजय सांपला, चेयरमैन (एन सी एस सी)

महेंद्र सिंह बघेल/ पब्लिक वार्ता

नई दिल्ली। आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में प्रमोशन दी गई। इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ज्ञात रहे कि बीती सात अप्रैल को पंजाब पुलिस के चोबिस पी.पी.एस. अफसरों की आइ.पी.एस. में प्रमोशन दी है, जिसमे आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई क्यूंकी उसमे एक भी दलित नहीं है और ये ही आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, पीपीएस, कमांडेंट 1 आईआरबी ने आयोग को शिकायत दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों/मामले में जांच कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष पंद्रह दिनों में पेश करने का निर्देश दिया है।

सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन हेतु भारत के संविधान तहत बने कानूनों को नजरन्दाज करना कानूनी जुर्म है।

जिन अफसरों ने केंद्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के 'पंजाब शड्यूल्ड कास्ट एण्ड बैकवर्ड क्लास (रेजर्वेशन इन सर्विसेज) अमेंडमेंट एक्ट 2018 (पंजाब एक्ट नंबर 17 ऑफ 2018)' को नजरअंदाज किया है उन पर आयोग कानून अनुसार सख़्त से सख़्त कारवाई करेगा।

TOP STORY
www.topstory.online

Home National World States

पुलिस अफसरों के प्रमोशन में पंजाब सरकार ने की आरक्षण … कमीशन ने लिया संज्ञान

-पी.पी.एस. से आइ.पी.एस. में प्रमोटेड चौबीस पुलिस अफसरों में से एक भी दलित न होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

By Top Story — On Jun 1, 2021

Hindi Feeds National Top Story

नई दिल्ली। आरक्षण नीति के खिलाफ जाकर पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों को इंडियन पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) श्रेणी में प्रमोशन देने का मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंच गया है। लिहाजा, आयोग ने पंजाब सरकार के फैसले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

A2Z NEWS

स्कालरशिप मामला: दलित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र रोके जाने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त

-आयोग ने नोटिस जारी कर हिमाचल सरकार से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

ANI

SC Commission summons Punjab Chief Secretary on po… matric scholarship scheme

ANI | Updated: Jun 11, 2021 22:58 IST

New Delhi [India], June 11 (ANI): National Commission for Scheduled Castes (… Friday has issued summons to the Chief Secretary of Punjab and other official… 17 on the issue of hardships faced by Scheduled Caste students under the Pos… Scholarship Scheme in the state.

SPONSORED CONTENT

A Girl From New Delhi Became A Billionaire Using This Method

Born Between 19… Get ₹1 Cr Term Li… ₹503/Month*

Coding gets super easy & fun! Online classes by MIT/Harvard team

Coding Classes F… Age 6-18 From IIT Mentors

In a notice issued to the Chief Secretary of Punjab, the NCSC asked him to sub… action taken report in the matter immediately.

The commission said that the state government had failed to respond to its ea… notices issued on June 7 and 10 within the stipulated time.

"Vijay Sampla, Chairman of this Commission has fixed the hearing in this case in person on July 17 at 11.00 am in his chamber at 5th Floor, Loknayak Bhawa… Market, New Delhi. Accordingly, you are requested to make it convenient to app… hearing before the Hon'ble Chairman as per schedule mentioned above at the Headquarters of National Commission for Scheduled Castes, New Delhi along … upto date action taken report and all relevant documents including the relevant case diaries to facilitate the hearing," the notice said. (ANI)

National SC Commission summo… Punjab CS on Post Matric Scholarship for S…

TSN/New Delhi:

After lapsing of the stipulat… period for replying to the mu… tiple notices on the issue … hardships faced by Schedul… Caste students under Post M… tric Scholarship Scheme … Punjab, Chairman Nation… Commission for Schedul… Castes Vijay Sampla has sum… moned Chief Secretary Punj… and two other officers on Ju… 17.

All the three notices issu… by NCSC to the Governme… of Punjab on the issues relat… to the Post Matric Scholarsh… Scheme went unanswered. … day notice issued on 25 M… until today is unanswered… June and 10 June notices b… for the immediate reply t… went unanswered.

Chief Secretary Punj… along with Principal Secreta… Department of Social Justi… empowerment & minoriti… and, Principal Secretary D… partment of Higher educati… Punjab asked to appear … person before Chairman NC… along with an up to date acti… taken report and all releva… documents including releva… files, case diaries, etc. to fac… itate the hearing.

It is unfortunate that seni… officers of the Punjab gover… ment are ignoring the notic… issued by NCSC, a constit… tional body set up under A… ticle 338 of the Constituti… of India, said Sampla.

"As Chairman I am du… bound to secure the rights … Scheduled Castes and ensu… that they get justice in all … spects," added Sampla.

Sampla asked the Punj… government if they have … done anything wrong in i… plementing the Post Mat… Scholarship Scheme then w… they are running away fro… replying to the letters issu… by NCSC.

लोकमत English
Marathi | Hindi

City Latest News IPL 2021 National Assembly Elections Maharashtra Auran…

SC Commission summons Punjab Chief Secretary on post-matric scholarship scheme

By ANI | Published: June 11, 2021 10:54 PM

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on Friday has issued summons to the Chief Secretary of Punjab and other officials on July 17 on the issue of hardships faced by Scheduled Caste students under the Post-Matric Scholarship Scheme in the state.

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on Friday has issued summons to the Chief Secretary of Punjab and other officials on July 17 on the issue of hardships faced by Scheduled Caste students under the Post-Matric Scholarship Scheme in the state.

In a notice issued to the Chief Secretary of Punjab, the NCSC asked him to submit the action taken report in the matter immediately.

The commission said that the state government had failed to respond to its earlier two notices issued on June 7 and 10 within the stipulated time.

"Vijay Sampla, Chairman of this Commission has fixed the hearing in this case with you in person on July 17 at 11.00 am in his chamber at 5th Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi. Accordingly, you are requested to make it convenient to appear in the hearing before the Hon'ble Chairman as per schedule mentioned above at the Headquarters of National Commission for Scheduled Castes, New Delhi along with an upto date action taken report and all relevant documents including the relevant files, and case diaries to facilitate the hearing," the notice said.

(With inputs from ANI)

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

Dr. B. R. Ambedkar's home in London. Dr. Ambedkar had stayed here for two years in 1921-22 during his student days at London school of Economics (LSE).

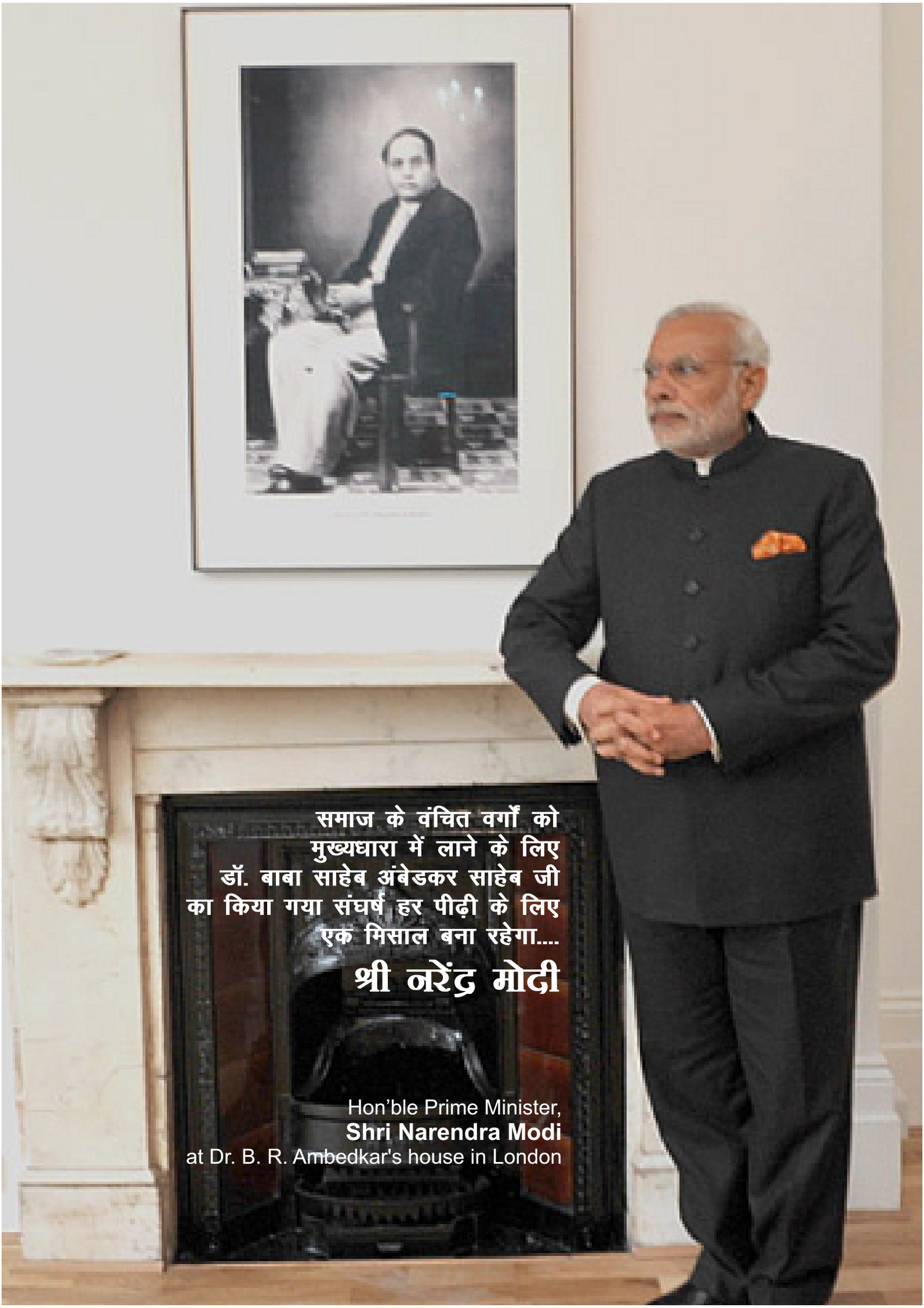

समाज के वंचित वर्गों को
मुख्यधारा में लाने के लिए
डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर साहेब जी
का किया गया संघर्ष हर पीढ़ी के लिए
एक मिसाल बना रहेगा....

श्री नरेंद्र मोदी

Hon'ble Prime Minister,
Shri Narendra Modi
at Dr. B. R. Ambedkar's house in London